

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या
मैनुअल नं. 80 / प्रा.पत्र / 2023
(GCMS No. 2023 / 119)

तारीख दायरा
03.07.2023

तारीख निर्णय
12.02.2024

ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय, 19-ए, धुलेश्वर गार्डन,
अजमेर रोड, जयपुर (जरिये प्राधिकृत अधिकारी)

– प्रार्थी (प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. श्री प्रेमशंकर मीणा आ. कल्याण मीणा, जाति मीणा,
पता-वार्ड नं. 12 कापरेन, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
2. श्रीमती नर्सिंग बाई पत्नी प्रेमशंकर मीणा, जाति मीणा,
पता-वार्ड नं. 12 कापरेन, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी
3. श्री विनयकुमार व्यास आ.नाथूलाल व्यास
पता-वार्ड नं.9 व्यास मौहल्ला कापरेन, तह. के.पाटन, जिला बून्दी
– अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण
और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थित-

प्रार्थी की ओर से श्री अजीत कुमार जोशी, एडवोकेट।
अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

आदेश

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में ए.यू. फाईनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर में स्थित है, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में लघु वित्त बैंक का कारोबार करने के लिये लाईसेंस (भारत का राजपत्र दिनांक 13.12.2015) प्राप्त है, से अप्रार्थीगण ने

दिनांक 30.06.2019 को कुल रूपये 5,00,000/- का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में बंधक सम्पत्ति श्री प्रेमशंकर मीणा आ. कल्याण जाति मीणा की सम्पत्ति नगरपालिका कापरेन पत्रावली क्रमांक 393 खसरा संख्या 663 का हिस्सा वार्ड नं. 12 पट्टा नं. 111 दिनांक 12.02.13 कापरेन, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1059 वर्गफीट है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और ऋण के भुगतान के व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.01.2023 को अक्रियान्विति आरिस्ट NPA (अनर्जक परिसम्पत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। अप्रार्थीगण के खाते में 5,79,552/- बकाया रकम दिनांक 05.01.2023 तक शेष देय है व इससे आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिये अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.01.2023 को रजिस्टर्ड डाक से मांग नोटिस भी प्रेषित किया गया तथा समाचार पत्र में नोटिस प्रकाशित करवाया गया। इसके बावजूद निर्धारित अवधि के अन्तर्गत ऋणी/ बंधककर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है। इस कारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु उक्त रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था की जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थनापत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया गया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किये जाने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 13.01.23 को मांग नोटिस प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। दिनांक 16.08.16 को उक्त अधिनियम की धारा 12 में किये गये संशोधन के अनुसार यदि धारा 13(2) का नोटिस पूर्व में दिया जा चुका है तो ऋणी को मजिस्ट्रेट की ओर से धारा-14 के तहत प्रार्थना पत्र का पृथक से नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त वर्णित बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।



हमने अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अचल सम्पत्ति को बंधक रखकर प्रार्थी वित्तीय संस्था ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक से ऋण लिया जाना, ऋणी के ऋण मय ब्याज नियमानुसार भुगतान करने में असफल रहने से उक्त ऋण खाता NPA किया जाना एवं प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 13.01.2023 को अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित किये जाने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया जाना प्रार्थना पत्र में अंकित किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ऋणी/बंधककर्ता की बंधक सम्पत्ति श्री प्रेमशंकर मीणा आ. कल्याण जाति मीणा की सम्पत्ति नगरपालिका कापरेन पत्रावली क्रमांक 393 खसरा संख्या 663 का हिस्सा वार्ड नं. 12 पट्टा नं. 111 दिनांक 12.02.13 कापरेन, तहसील के.पाटन, जिला बून्दी (राज.) में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 1059 वर्गफीट है, (जिसकी चतुरसीमा इस प्रकार है, पूर्व में-रवि खारवाल का मकान, पश्चिम में-बृजमोहन मीणा का मकान, उत्तर में-महादेव जी का मंदिर, दक्षिण में-बनवारीलाल मीणा का मकान व गली) का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक बून्दी को हसब कायदा जारी हो। उक्त बंधक सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी तरह का विवाद होने या किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलेक्टर बून्दी